प्रेषक,

राज कुमार त्रिवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक: 28 अगस्त 2014

विषयः– रिट याचिका संख्या–36581/2014 रामध्यान व 236 अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तरिम आदेश दिनांक 17.07.2014 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–380/स0क0/शिक्षा–ब/2014–15, दिनांक 01.08.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– अवगत कराना है कि रिट याचिका संख्या–64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 27.07.2012, 12.10.2012, 08.02.2013 एवं 07.03.2013 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–750/26–2–2013, दिनांक 09.04.2013 द्वारा यह निर्णय किया गया था कि निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय में तैनात/कार्यरत 845 अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो, नियत वेतन (Fixed Ruppees) 7300/– दिया जा रहा है, उसे राज्य सरकार द्वारा वहन न किया जाय। चूंकि यह अप्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति के समय मौलिक अर्हता/पात्रता (Basic Qualification/Eligibility) धारक नहीं थे, अतः राज्य सरकार द्वारा इन विद्यालयों को जो आवर्तक अनुदान (Recurring Grant) दी जा रही है, उसमें से उपरोक्त अप्रशिक्षित शिक्षकों के नियत वेतन पर आने वाले व्यय–भार को वहन नहीं किया जायेगा।

3– शासन के उक्त आदेश दिनांक 09.04.2013 के विरूद्ध याची द्वारा रिट याचिका संख्या–36581/2014 रामध्यान व 236 अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य दाखिल किया गया। उक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के अन्तरिम आदेश दिनांक 17.07.2014 द्वारा शासनादेश संख्या–750/26–2–2013, दिनांक 09.04.2013 के क्रियान्वयन/प्रभाव को अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.07.2014 के क्रियात्मक अंश निम्नवत् हैः–

Learned Standing Counsel appears for the State functionaries. He prays for and is granted six weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.

List after expiry of the aforesaid period. Until further orders of this Court, the effect and operation of the impugned order dated 09.04.2013 shall remain stayed.

Scanned with OKEN Scanner

[illegible] कृपया रिट याचिका संख्या–36581/2014 रामध्यान व 236 अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 17.07.2014 के अनुपालन में शासनादेश संख्या–750/26–2–2013, दिनांक 09.04.2013 के अन्तर्गत रोके गये वेतन हेतु आवर्तक अनुदान को तात्कालिक प्रभाव से अवमुक्त किये जाने तथा निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित राजकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में तैनात/कार्यरत 845 अप्रशिक्षित अध्यापकों जिन्हे नियत वेतन रू0 7300/– प्रतिमाह दिया जा रहा था, को तात्कालिक प्रभाव से मा0 उच्च न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक वेतन भुगतान की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि राज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय और आदेश मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित रिट याचिका संख्या–64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या–36581/2014 रामध्यान व 236 अन्य बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

भवदीय,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनु सचिव।

पृ0संख्या–1804(1)/26–2–2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनु सचिव।

Scanned with OKEN Scanner

Court No. - 1

Case :- WRIT - A No. - 36581 of 2014

Petitioner :- Ram Dhayan And 236 Others
Respondent :- The State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Satyendra Kumar Pal,R.B. Pal,Radha Kant Ojha
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Pradeep Kumar Singh Baghel,J.

It is contended that the petitioners are untrained teachers and they are teaching in different Harijan Primary Schools. The State Government vide Government order dated 28 March 1990 has exempted their training and they have been allowed to continue.

It is stated that currently they are undergoing a training for BTC (Distance mode) and in the meantime the impugned order dated 09.04.2013 has been passed in compliance of an interim order dated 05.01.2012 passed in Writ Petition No. 64273 of 2011 (Shrawan Kumar and others v. State of U.P. and others).

Sri R.K. Ojha, learned Senior Advocate assisted by Sri R.B. Pal, learned Counsel for the petitioners submits that in view of the Government Order dated 28.03.1990, the petitioners are entitled to continue as they are working for the last several years uninterruptedly and to the satisfaction of the authorities concerned. He has also invited attention of the Court to some of the interim orders passed by this Court, which have been brought on record as annexure-12 to the writ petition.

Matter needs consideration.

Learned Standing Counsel appears for the State functionaries. He prays for and is granted six weeks time to file counter affidavit. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks thereafter.

List after expiry of the aforesaid period. Until further orders of this Court, the effect and operation of the impugned order dated 09.04.2013 shall remain stayed.

Order Date :- 17.7.2014
DS/-

Scanned with OKEN Scanner

H.C. प्रकरण

ई-मेल

प्रेषक

निदेशक,

समाज कल्याण,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन,

समाज कल्याण अनुभाग-2

पत्रांक- 380 /स0क0/शिक्षा-ब /2014-15 लखनऊ : दिनांक 01 ~~जुलाई~~ अगस्त 2014

विषय:- रिट याचिका संख्या-36581/2014 राम ध्यान व 236 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 17-07-2014 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-750/26-2-2013 दिनांक 09-04-2013 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा रिट याचिका संख्या-64273/2011 श्रवण कुमार व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय के पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 12-10-2012, 08-02-2013 एवं 07-03-2013 के अनुपालन में निजी प्रबन्धतंत्र द्वारा संचालित सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त तथा कार्यरत 845 अप्रशिक्षित शिक्षकों, जिन्हें नियत वेतन रू0-7,300/- प्रतिमाह दिया जा रहा है, उसे राज्य सरकार द्वारा वहन न किये जाने का निर्णय लिया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेख करना है कि रिट याचिका संख्या-36581/2014 राम ध्यान व 236 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 17-07-2014 को शासन के पत्र दिनांक 09-04-2013 के कियान्वयन एवं प्रभाव को स्थगित कर दिया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः शासन से अनुरोध है कि कृपया शासन के आदेश दिनांक 09-04-2013 के कियान्वयन एवं प्रभाव के स्थगन संबंधी मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17-07-2014 के आलोक में विभाग द्वारा अनुदानित अनुसूचित जाति प्राइमरी पाठशालाओं में नियुक्त अप्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में यथोचित निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय,

(सुरेन्द्र विक्रम)
निदेशक।

31/7/14

AK-3

Scanned with OKEN Scanner